



# छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

दूरभाष नं. 0771-2437309 फ़ैक्स नं. 0771-2429385

क्रमांक/4775 /अशा. मान्यता/2019

रायपुर, दिनांक 7/12/2019

:: आदेश ::

मान्यता समिति की बैठक दिनांक 12-09-2019 से दिनांक 17.09.2019 तक में की गयी अनुशंसा अनुसार कार्यपालिका एवं वित्त समिति की संयुक्त बैठक दिनांक 23.11.2019 में लिये गये निर्णयानुसार पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश क्रमांक 5347/मान्यता/2016 रायपुर, दिनांक 27.07.2016 में संशोधन करते हुये अशासकीय मान्यता के लिये ली जाने वाली शुल्क की दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

स.क.	नवीन मान्यता हेतु शुल्क	
01	<b>नवीन मान्यता हाईस्कूल</b> (1) मान्यता शुल्क राशि रु.10,000/- (2) निरीक्षण शुल्क राशि रु.13,000/- (3) पंजीयन शुल्क राशि रु. 27,000/- <b>कुल राशि रु. 50,000/-</b>	<b>नवीन मान्यता हायर सेकण्डरी</b> (1) मान्यता शुल्क राशि रु.14,000/- (2) निरीक्षण शुल्क राशि रु.13,000/- (3) पंजीयन शुल्क राशि रु. 33,000/- <b>कुल राशि रु. 60,000/-</b>
02	<b>विलंब शुल्क</b> (अ) 30 अप्रैल तक- सामान्य शुल्क (ब) 31 जुलाई तक- रु. 20,000/- उक्त तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेंगे। उदाहरणार्थ:- परीक्षा सत्र 2021-22 हेतु नवीन मान्यता आवेदन, सामान्य शुल्क के साथ 30 अप्रैल 2020 तक तथा विलंब शुल्क 20,000/- के साथ 31 जुलाई 2020 तक।	
03	<b>सुरक्षा निधि/अक्षय निधि</b>	(1) शहरी क्षेत्र :- राशि रु. 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र) (2) ग्रामीण क्षेत्र :- राशि रु. 50,000/- (रूपये पचास हजार मात्र)
उपरोक्त शुल्क परीक्षा सत्र 2021-22 से अशासकीय नवीन मान्यता के लिये प्रभावशील होगा।		

इसी प्रकार कार्यालयीन आदेश क्रमांक/2726/मान्यता/2008, रायपुर, दिनांक 17-04-2008 में संशोधन करते हुये निम्नानुसार नवीनीकरण शुल्क निर्धारित की जाती है :-

स.क.	नवीनीकरण हेतु शुल्क	
01	<b>मान्यता शुल्क प्रतिवर्ष</b> (1) हाईस्कूल परीक्षा हेतु रु. 5000/- (2) हायर सेकण्डरी परीक्षा हेतु रु. 7000/-	<b>विलंब शुल्क</b> (अ) 31 दिसम्बर तक- सामान्य शुल्क (ब) 15 जनवरी तक- रु. 2000/- (स) 31 जनवरी तक- रु. 3000/- (द) 28 फरवरी तक- रु. 4000/-

02/ मान्यता वृद्धि के लिये जिस शिक्षा सत्र के लिये मान्यता वृद्धि चाही गई है। उसके प्रारंभ होने के 06 माह पूर्व अर्थात् 31 दिसम्बर तक सामान्य शुल्क के साथ मान्यता वृद्धि का आवेदन पत्र स्वीकार किया जावेगा। इसके पश्चात् आवेदन पत्र जमा किये जाने पर उपरोक्तानुसार विलम्ब शुल्क देय होगा।

उदाहरणार्थ:- परीक्षा सत्र 2021-22 की मान्यता वृद्धि हेतु शुल्क 31 दिसम्बर 2020 तक सामान्य शुल्क के साथ जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।

03/ अक्षय निधि/सुरक्षा निधि जिला शिक्षा अधिकारी एवं प्राचार्य के संयुक्त खाता में स.क्र (03) में उल्लेखित अनुसार जमा किया जाना होगा।

*Asm*  
21/12/19

(प्रोफेसर व्ही.के. गोयल)

सचिव

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल

B रायपुर